अध्याय III: निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ, जिनमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं

निदेशक मंडल

कार्यात्मक निदेशक

कार्यकारी निदेशक/क्षेत्रीय महाप्रबंधक/जीएम

कार्यात्मक प्रमुख

अन्य अधिकारी

कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के तहत निर्धारित उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ चला रही है। कंपनी के मामलों का प्रबंधन कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार किया जाता है।

कंपनी का समग्र प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल के पास निहित है। निदेशक मंडल कंपनी के भीतर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कुछ मामलों में कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक में मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ मामलों में भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। रेलटेल एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) है, कंपनी का निदेशक मंडल भी भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है। निदेशक मंडल कंपनी के मामलों को नियंत्रित करता है।

निदेशक मंडल ने संगठन की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के दैनिक मामलों के प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए सीएमडी को शक्तियां सौंपी हैं और सीएमडी, अपनी शक्तियों के अनुसार, कार्य के आधार पर विभिन्न अधिकारियों और प्रबंधकों को अधिकार सौंपते हैं। भूमिका निभानी होगी. निदेशक सहित सभी कर्मचारियों को प्रत्यायोजित प्राधिकार के दायरे में कार्य करना आवश्यक है

सभी कर्मचारियों को प्रदत्त शक्तियों और लागू कानूनों, नियमों, मानदंडों, संहिताओं आदि के अधीन कार्य करना आवश्यक है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन एक आचार संहिता के अधीन हैं (सीओसी वेबसाइट

पर वेबलिंक पर है (https://www.railtelindia.com/images/pdf/Code%20of%20Business%20Conduct%20and%20Ethics%20for%20Board%20Members%20and%20Senior%20Management.pdf) जिसके अनुसार वे हर साल अनुपालन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।